

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—चण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] No. 7] नई बिल्ली, गुक्रवार, जून 17, 1983/ज्येष्ठ 27, 1905 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 1983/JYAISTHA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय होस्योपैथिक परिषक् अधिस्**य**ना

नई दिल्ली, 16 जून, 1983

सं० 7-1/83-सी० सी० एच०—होम्योपैयी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होम्योपैयी केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनिधम बनाती है, अर्थात :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (१) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद् (निरीक्षक और परिदर्शक) विनियम, 1982 है।
 - (2) ये तुरंत प्रभावी होंगे।
- परिभाषाएं :इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
 - (क) "अधिनियमन" से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 (1973 का 59) अभिन्नेत है;
 - (ख) "कार्यकारिणी समिति" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति अभिन्नेत है ;

- (ग) "मिरीक्षक" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त चिकित्सीय निरीक्षक अभिप्रेत है;
- (ष) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीम निर्वाचित केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (च) "परिदर्शक" से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परिदर्शक अमित्रेत हैं।
- 3 होस्यौगैयी चिकिस्सीय महाविद्यालयों अस्पतालों और संस्थाओं का तथा किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अस्य चिकित्सीय संस्था द्वारा आयोजित परीक्षाओं का निरीक्षण:
- (1) केन्द्रीय परिषद् ऐसे चिकित्सीय महाविद्यालय, अस्पताल और अन्य संस्था का जहां होम्यापैयी की शिक्षा दी जाती है निरीक्षण करने के लिए या किसी विश्वविद्यालय,

बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा आयोजित होम्योपैथी की किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मिरीक्षक नियुक्त करेगी।

(2) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह होम्योपैयी में परीक्षा का संचालन करने वाले विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था से ऐसा प्रत्येक परीक्षा की जिसका निरीक्षण केन्द्रीय परिचद् द्वारा किया जाए तारीख श्रीर स्थान अभिनिश्चित करे।

4 निरीक्षकों की नियुक्तिः

- (1) कोई भी ब्यक्ति तब तक निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अहेताएं नहीं अर्थात्:--
 - (क)(i) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होम्योपैयी में मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अहंता जो किसी चिकित्सीय संस्था में कम से कम चार वर्ष के संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त हो या
 - (ii) अधिनियम की तृतीय अनुसूची में सम्मिलित हौम्योपैथी में मान्यक्षाप्राप्त अर्हता;
 - (ख)(i) 4 वर्ष के डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली किसी चिकित्सीय संस्था में कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में 8 वर्ष का अनुभव
 - (ii) चिकित्सा व्यवसायी के रूप में 12 वर्ष का अनुभव या
 - (iii) बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी 4 वर्षीय या डिग्री पाठ्यक्रम में परीक्षक के रूप में 3 वर्ष के अनुभव सहित चिकित्सा व्यवसायी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।

स्पद्दीकरण :— इस उप विनिधम के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए 4 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम में परीक्षक से रूप में 3 वर्ष का अनुभव से अभिन्नेत है कुल मिलाकर कम से कम छह परीक्षाओं का पर्चे बनाने वाले के रूप में अथवा सिद्धांत के परीक्षक या प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षक के रूप में अथवा सिद्धांत और प्रयोगात्मक दोनों के परीक्षक या मूल्यांकक या संतुलनकर्त्ता (माडरेटर) के रूप में अनुभव।

(2) प्रत्येक निरीक्षक अध्यक्ष से केन्द्रीय परिषद् के अधीन लिखित रूप में एक कमीशन प्राप्त करेगा और उस कमीशन में वह चिकित्सीय महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था विनिर्दिष्ट होंगी जहां होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है तथा विश्वविद्यालय, बार्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा होम्योपैथी की परीक्षा का जिसका उसके द्वारा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है संचालन किया जाता है और वह कार्येकारिणी समिति उसपर श्रपनी रिपोर्ट देगी।

- (3) निरीक्षक किसी चिकित्सीय महाविद्यालम द्वारा या परीक्षकों द्वारा या होम्योपैथी की परीक्षाओं का संचालन करने वाले विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था के किसी पवधारी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
- (4) केन्द्रीय परिषष् द्वारा कमीशन प्राप्त निरीक्षक की वही यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे की केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के लिए उसके अधिवेशनों में उपस्थित हाने के लिए बिहित हैं।
- (5) केन्द्रीय परिषद् का कोई भी सदस्य निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5, निरीक्षण की प्रक्रिया

प्रत्येक निरीक्षक निम्नलिखित अपेक्षाम्रों का अनुपालन करेगा, अर्थात्

- (क) ऐसे चिकित्सीय महाविद्यालय, अस्पताल या भ्रन्य संस्थाओं में, जहां होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है, विद्यमान अध्यापन-सुविधाओं के बारे में पूर्वतन रिपोटों से और उस विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था द्वारा जिसके, अध्यक्ष के निदेशानुसार निरीक्षण के लिए उसे नियुक्त किया गया है, संचालित होम्योपैथी की परीक्षा या परीक्षाओं से तथा परीक्षा का संचालन करने वाले निकाय, महाविद्यालय के प्राधिकारियों की टिप्पणियों और उन पर केन्द्रीय परिषद् के विचारों से स्वयं को अवगत करेगा;
- (ख) ऐसी प्रत्येक परीक्षा में स्वयं उपस्थित होगा जिसका निरीक्षण करना उससे श्रेपेक्षित है और ऐसे चिकिरसीय महाविद्यालयों, भ्रस्पतालों भ्रीर श्रन्य संस्थाश्रों का जहां होम्योपेथी की भिक्षा दी जाती है, कर्मचारिबृन्द, उपस्कर, वाम्यूविधा, प्रशिक्षण श्रीर होम्योपेथी की शिक्षा श्रीर प्रशिक्षण की श्रन्य सुविधाश्रों जैसे विषयों के संबंध में निरीक्षण करेगा, किन्तु वह उसके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- 6. निरीक्षकों के कर्त्तव्य: (1) उप-विनियम (2) के अधीन कार्यकारिणी समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में निरीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्ता या अपर्याप्ता के बारे में अपनी सुनिश्चित राय दे और उसमें इस बाबत अपनी विनिर्दिष्ट राय अभिलिखित करें कि क्या—
 - (क) परीक्षा का संचालन उचित रूप से किया गयाथा,
 - (ख) ऐसी परीक्षा के लिए प्रश्न, उस शिक्षा के जो प्रदान की जाती है, स्तरों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे, भौर

- (ग) उस चिकित्सीय महाविद्यालय, श्रस्पताल या श्रन्य संस्था में जिसमें होम्योपैथी की गिक्षा दी जाती है, उपलब्ध श्रध्यापन सुविधाएं पर्याप्त हैं।
- (2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में---
- (क) निरीक्षक द्वारा निरीक्षित प्रत्येक परीक्षा के निखित,
 मौखिक भीर प्रयोगात्मक मार्गों में प्रस्तावित
 प्रक्षों के, केसों के भीर नैदानिक तथा प्रयोगात्मक
 परीक्षाभों के लिए उपलब्ध किए गए साधिन्नों,
 भ्रधीक्षण के लिए किए गए प्रबंधों, श्रंक देने के
 तरीके भीर मापमान, सकल विद्यार्थियों द्वारा
 दिशत ज्ञान के स्तर के बारे में सभी श्रावक्ष्यक
 विधिष्टियां तथा सामान्यतथा ऐसे सभी व्योरे जो
 परीक्षा के प्रविषय भीर स्वरूप के विषय में
 न्यायनिर्णयन के लिए अपेक्षित हों उप-विणत
 होंगे,
- (ख) निरीक्षण द्वारा अपने निरीक्षण के प्रत्येक दिन प्रत्येक परीक्षा का निरीक्षण करने पर लगाए गए वास्तविक समय का संक्षिप्त अभिलेख सम्मि-लित होगा,
- (ग) ऐसे महाविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थाधों तथा उनसे संबंध अन्य अनुभागों में विद्यमान अध्यापन सुविधाधों, उपस्करों, बास सुविधा धौर कर्मचारिवृन्द के संबंध में जानकारी सम्मिलित होगी,
- (घ) यह उपदिणित होगा कि ऐसी प्रत्येक परीक्षा के जिसना उसने निरीक्षण किया है, मामले में, परीक्षाश्रों के संबंध में केन्द्रीय परिषद् की सिकारियों किस मीमा तक कियान्वित की गई हैं और यह भी कि मंस्था में विशिष्टि विषय या विषयों में, जिनसे निरीक्षक का संबंध है, विद्यार्थियों की शिक्षा में, केन्द्रीय परिषद् के शैक्षिक विनियमों को जिस सीमा तक लागू किया गया है, श्रीर
- (ङ) वह (निरीक्षक) रिजस्ट्रार से ग्रपनी रिपोर्ट की प्रूफ प्रति प्राप्त होने पर मूल प्रति से उसका मिलान करके उसमें सुधार करेगा, उस पर हस्ता-क्षर करेगा ग्रीर केन्द्रीय परिषद् के ग्राभिलेखों में रिपोर्ट की ग्राधिप्रमाणित प्रति के रूप में परिरक्षित रखने के लिए उसे रिजस्ट्रार को लौटाएगा।
- 7. रिपोर्ट पर विकार : (1) निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट भ्रध्यक के निवेशानुसार मुद्रित की जाएगी भौर ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति कार्यकारिणी समिति को विचारार्थ भौर केन्द्रीय परिषद् को रिपोर्ट भेजने के लिए भेजी जाएगी । रिपोर्ट की एक प्रति कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को जाएगी।

- (2) जब तक कि किसी विशिष्ट मामले में केन्द्रीय परिषद् अन्यथा निदेश न दे, निरीक्षकों की रिपोर्टें गोपनीय होंगी।
- (3) निरीक्षक द्वारा वी गई रिपोर्ट के मुद्रित होते ही पर्याप्त संख्या में उसकी प्रतियां जिन पर 'गोपनीय' लिखा होगा, जब तक कि विशिष्टि मामले में केन्द्रीय परिषद् अन्यया निदेश न वे, संबंधित होम्योपैथी चिकित्ससीय महा-विद्यालय, अस्पताल था संस्था का अथवा संबंधित विश्व-विद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएंगी कि वह, उसे रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, केन्द्रीय परिषद् को भेज दे।
- (4) ऐसे होम्योपैथी चिकित्सीय महाविद्यालय, अस्पताल या संस्था की, जिसका निरीक्षण किया गया है, अथवा ऐसे विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था की जिसने परीक्षा का संचालन किया है, टिप्पणियों सहित निरीक्षण की प्रत्येक रिपोर्ट केन्द्रीय परिषद् के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी और केन्द्रीय परिषद् उस पर व्यक्त किए गए विचारों पर एक अधिवेशन में विचार करेगा।
- (5) यथास्थिति, ऐसे होम्योपैथी चिकित्सीय महाविद्यालय अस्पताल या संस्था की, जिसका निरीक्षण किया गया है, अथवा ऐसे विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था की, जिसके परीक्षा का मंचालन किया है, टिप्पणियां सहित निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट की एकं प्रति और उस पर कार्य-कारिणी संमिति के विचार, केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात, केन्द्रीय सरकार को भेजे जाऐंगे।
- 8. होम्योपैथी चिकित्सीय महाविधालयों, श्रस्पतालों श्रौर संस्थाश्रों तथा विश्वविद्यालय ,बोर्ड या श्रन्य शिचिकित्सीय संस्था द्वारा श्रायोजित परीक्षाश्रों का निरीक्षण करने के लिए परिदर्शन :

केन्द्रीय परिषद ऐसे किसी चिकित्सीय गहाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था का जहां होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है, निरीक्षण करने के लिए या किसी विश्व विद्यालय बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा उसके लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उतने परिदर्शन निमुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझें।

- 9. परीदर्शकों की निमुक्ति : (1) अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिदर्शन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ---
 - (क) <mark>केन्द्रीय प</mark>रिषद् का सदस्य है, या
 - (ख) ग्रिधिनियम की व्रितीय श्रनुसूची में सम्मिलत श्रथवा श्रधिनियम की तृतीय श्रनुसूची में सिम्मि लित श्रईताएं प्रदान करने वाली किसी संस्था का कम से कम 4 वर्ष की श्रवधि का श्रध्यापक है या रहा है, या

- (ग) जिसने श्रधिनियम की ब्रितीय श्रनुसूची में सम्मिलित होम्योपैथी में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम या श्रधिनियम की तृतीय श्रनुसूची में सम्मिलित श्रहेंताओं के परीक्षक के रूप में कम से कम 4 वर्ष की श्रवधि तक कार्य किया है, या
- (घ) जो कम सं कम 4 वर्ष की अवधि का होम्योपैयी पाठ्यकम पूरा करने के पश्चात अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होम्योपैथी डिप्लोमा या डिग्री या अधिनियम की तृतीय अनुसूची में सम्मिलित अहें ताए रखता है और जिसमें कम से कम 10 वर्ष तक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में कार्य किया हो ।
- (2) किसी भी निरीक्षण या परीक्षा के लिए अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति उसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए परीदर्शन नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (3) उस परीवर्शन को जो केन्द्रीय परिषद् का सदस्य है कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलेगा किन्सु उसे केन्द्रीय परीषद के श्रधिवेशन में उपस्थित होने के लिए यान्ना श्रौर अन्य भक्तों का संदाय किया जाएगा।
- (4) उस परिदर्शन को जो केन्द्रीय परिषद् का सदस्य नहीं है, वही याल्ला ख्रौर श्रन्य भत्तों का संदाय किया जाएगा जो केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के लिए, उसके श्रधिबेशन में उपस्थित होने के लिए विहित है।
- (5) परिवर्णन ऐसे किसी चिकित्सीय महाविद्यालय, श्रस्पताल या अन्य संस्था के जहां होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है श्रीर जिसमें वह श्रध्यापक है, तथा ऐसे विश्वविद्यालय बोर्ड या श्रन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा जिसमें वह परीक्षक है, निरीक्षण में भाग नहीं लेगा।
- (6) प्रत्येक परिदर्शन प्रध्यक्ष से केन्द्रीय परिषद् की मुद्रा के अधीन सिखित रूप में एक कमीशन प्राप्त करेगा ग्रौर उस कमीशन में वह चिकित्सीय महाविद्यालय अस्पताल ग्रौर ग्रन्य संस्था जहां होम्योपैयी की शिक्षा दी जाती है तथा किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा जिसका उसे परिदर्शन करना है, विनिर्दिष्ट होगी।
- 10. परिदर्शकों के कर्तव्य: (1) अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में परिदर्शक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक परीक्षा की , जिसका उसने निरीक्षण किया है, पर्याप्तता मा अपर्याप्तता के बारे में अपनी सुनिश्चित राय दे श्रौर उसमें यह अभिलिखित करे कि क्या --
 - (क) परीक्षा का संचालन उचित रूप से किया गया था,

- (ख) ऐसी परीक्षा के लिए प्रक्न उस शिक्षा के जो प्रदान की जाती है, स्तरों को ध्यान में रख कर तैयार किए गए थे, ग्रीर
- (ग) उस चिकित्सीय महाविधालय, अस्पताल या अन्य संस्था में जिसमें होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती है, उपलब्ध अध्यापक सुविधाए पर्याप्त हैं।
- (2) ऊपर उप विनिधम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में--
- (क) प्रत्येक परीक्षा कें, जिसका निरीक्षण परिदर्शक ने किया हैं, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक भागों में प्रस्तावित प्रश्नों के, नैदानिक भौर प्रयोगात्मक भागों में प्रस्तावित प्रश्नों के, नैदानिक भौर प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए उपलब्ध किए गए केसों भौर साविलों, प्रधीक्षण के लिए किए गए प्रबंधों, अंक देने के तरीके भौर मापमान, सफल विद्यार्थियों द्वारा दर्शित ज्ञान के स्तर के बारे में सभी भावप्यक विशिष्टियां भौर सामान्यतथा ऐसे सभी भ्यौरे जो परीक्षा के प्रविषय भौर स्वरूप के विषय में न्यायनिर्णयन के लिए भ्रेषित हों, उपवर्णित होंगें;
- (ख) परिवर्शक द्वारा अपने निरीक्षण के प्रत्येक दिन प्रत्येक परीक्षा का निरीक्षण करने पर लगाए गए वास्तविक समय का संक्षिप्त अभिलेख सम्मि-लित होगा,
- (ग) ऐसे महाविद्यालयों, ग्रस्पतालों ग्रीर संस्थाश्रों तथा उनसे संबंध श्रन्थ श्रनुभागों में विद्यमान श्रध्यापन सुविधाग्रों, उपस्करों, वास सुविधा ग्रीर कर्मवारिवृत्द के संबंध में जानकारी सम्मि-लित होगीं,
- (घ) यह उपवर्शित होगा कि ऐसी प्रस्येक परीक्षा जिसका उसने निरीक्षण किया है, मामले में, परीक्षाओं के संबंध में केन्द्रीय परिशयद की सिफा-रिशों किस सीमा तक क्रियान्वित को गई हैं और यह भी कि नंस्था में विशिष्ट विषय या विषयों में, जिनसे परिदर्शक का संबंध है, विद्यार्थियों की शिक्षा में केन्द्रीय परिषय के शैक्षिक विनियमों को किस सीमा तक लागु किया गया है, और
- (ङ) रिजस्ट्रार से श्रपनी रिपोर्ट की प्रूफ प्रिप्त प्राप्त होने पर मूल प्रिति से उसका मिलान करके उसमें सुधार करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा भौर केन्द्रीय परिषद् के श्रभिलेखों में रिपोर्ट की श्रधि-प्रमाणित प्रिति के रूप में परिरक्षित रखने के लिए उसे रिजस्ट्रार को लौटाएगा ।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1983

No. 7-1/83-CCH.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 33 of the Homocopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homocopathy, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Inspectors and Visitors) Regulation, 1982.
 - (2) They shall come into force with immediate effect.
- 2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires.—
 - (a) "Act 'means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
 - (b) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Act;
 - (c) "Inspector" means the medical inspector appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act;
 - (d) "President" means the President of the Central Council elected, under sub-section (2) of section 3 of the Act;
 - te)"Registrar" Imeans the Registrar of the Central Council appointed under clause (a) of section 11 of the Act:
 - (f) "Visitor" means a visitor appointed under sub-section (1) of section 18 of the Act.
- 3. Inspection of Homoeopathic medical colleges; hospitals and institutions and examination held by a University. Board or other medical institution.—(1) The Central Council shall appoint not less than three inspectors to inspect medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given or to attend any examination in Homoeopathy held by any University, Board or other medical institution.
- (2) It shall be the duty of the Registrar to ascertain periodically from the University, Board or other medical institution conducting examination in Homocopathy, the date and place of every such examination which may be inspected by the Central Council.
- 4. Appointment of inspectors,—(1) No person shall be appointed as an inspector unless he possesses the following qualification, namely:—
 - (a) (i) a recognised medical qualification in Homoeopathy included in the Second Schedule to the Act as obtained after at least four years' institutional training in a medical institution; or

 (ii) a recognised medical qualification in Homocopathy included in the Third Schedule to the Act;

- (b) (i) must have atleast 5 years' teaching experience in a medical institution conducting 4 years' diploma or degree course with 8 years' professional standing; or
- (ii) 12 years' professional standing; or
- (iii) 10 years' professional standing with 3 years experience as an examiner in a 4 year diploma or degree course of Board or University.

Explanation: --

For the purpose of sub-clause (iii) of clause (b) of this sub-regulation "3 years' experience as an examiner in a 4 year diploma or degree course" means an experience of minimum six examinations in all, either as a paper setter or theory examiner or practical and oral examiner or both examiner in theory and pratical or an an evaluator or as a moderator.

- (2) Every inspector shall receive from the President commission in writing under the seal of the Central Counc and the commission shall specify the medical college, hosp tall or other institution where education in Homoeopathy given and the examination in Homoeopathy conducted by the University, Board or other medical institution which is required to be inspected by him and he shall report to the Executive Committee thereon.
- (3) An inspector shall not accept hospitality from an medical college or from examiners or from any official of th University, Board or other medical institution conductin examinations in Homoeopathy.
- (4) An inspector commissioned by the Central Council shal be paid travelling allowance and other allowances as prescribe for the members of the Central Council for attending it meetings.
- (5) No member of the Central Council shall be appointed as an inspector.
- 5. Procedure of inspection:—Every inspector shall comply with the following requirements, namely:—
 - (a) to make himself acquainted with such previous reports on the facilities for teaching existing at the medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given and with the qualifying examination or examinations in Homoeopathy conducted by the University, Board or medical institution for which he is appointed to inspect, as the President may direct and with the remarks of the body conducting the examination, the college authorities and the observations of the Central Council thereon:
 - (b) to attend personally every examination which he is required to inspect and to inspect medical colleges, hospitals and other inslitutions where education in Homocopathy is given in regard to matters like stall, equipment, accommodation, training and other facilities for instruction and training in Homocopathy, but shall not interfere with the conduct thereof.
- 6. Duties of inspectors:—(1) In furnishing the report to the Executive Committee under sub-regulation (2), it shall be the duty of an inspector to give his opinion categorically about the sufficiency or insufficiency of each examination and also to record therein his specific opinion whether—
 - (a) the examination was properly conducted:
 - (b) the questions for such examination were framed having regard to the standards of the education imported; and
 - (c) the teaching facilities available in the medical college, hospital or other institution in which education in Homocopathy is given are sufficient.
 - (2) The report referred to in sub-regulation (1) shall :
 - (a) set forth all necessary particulars as to the questions proposed in the written, oral and practical parts of each examination inspected by the inspector the cases and appliances provided for clinical and practical examinations, the arrangements made for invigilation, the method and scales of marking the standard of knowledge shown by successful candidates and generally all such details as may be required for adjudicating on the scope and character of the examination;
 - (b) include a brief record of the actual time spent by the inspector in inspecting each examination on each day of his inspection;
 - (c) include information relating to teaching facilities, equipments, accommodation and staff existing at such colleges, hospitals and institutions and other sections attached to them;
 - (d) indicate the extent to which the recommendations of the Central Council in regard to examinations have been carried out in the case of each examination inspected by him and also the extent to which the educational regulations of the Central Council have been given effect to in the education of the students in the particular subject or subjects with the Inspector is concerned in the institution; and

338 GI/83-2

- (e) compare the proof copy of his report on receipt from the Registrar with the original and correct, sign & return it to the Registrar for preservation in the records of the Central Council as the authentic copy of the report.
- 7. Consideration of the report:—(1) Every report of an inspector shall be printed under the direction of the President and a copy of such report shall be referred to the Executive Committee for consideration and report to the Central Council. A copy of the report shall be supplied to each member of the Executive Committee.
- (2) Reports of inspectors shall be confidential unless in any particular case the Central Council shall otherwise direct.
- (3) As soon as a report by an inspector has been printed sufficient number of copies thereof marked confidential unless in any particular case the Central Council otherwise directs, shall be forwarded to the concerned homoeopathic medical college, hospital or institution or to the concerned University, Board or medical institution with the request that it shall furnish to the Central Council its remarks, if any, within 30 days of the receipt of the report by it.
- (4) Every report of an inspector with the remarks of the homoeopathic medical college, hospital or institution inspected or of the University, Board or other medical institution which conducted the examination shall be supplied to each member of the Central Council and shall be considered by the Central Council at a meeting together with the observations of the Executive Committee thereon.
- (5) A copy of every report of an inspector with the remarks of the homoeopathic medical college, hospital or institution inspected or of the University, Board or other medical institution which conducted the examination, as the case may be and the observations of the Executive committee thereon, shall, after approval by the Central Council, be forwarded to the Central Government,
- 8. Visit to inspect homoeopathic medical colleges, hospitals and institutions and examinations held by a University, Board or other medical institution.—The Central Council shall appoint such number of visitors as it may deem requisite to inspect any medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given or to attend an examination held by any University, Board or other medical institution therefore.
- 9. Appointment of visitors.—(1) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 18 of the Act, a visitor may be—
 - (a) a member of the Central Council; or
 - (b) a person who is or has been a teacher of any institution conferring diploma or degree in homocopathy of not less than 4 years' duration included in the in the Second Schedule to the Act or the qualifications included in the Third Schedule to the Act, or
 - (c) a person who has acted as an examiner in a diploma or degree course in Homocopathy of not less than 4 years' duration included in the Second Schedule to the Act or the qualifications included in the Third Schedule to the Act, or
 - (d) a person who possesses diploma or degree in Homoeopathy after undergoing a course of study in Homoeopathy of not less than 4 years' duration and included in the Second Schedule to the Act or qualifications included in the Third Schedule to the Act and having at least 10 years' professional standing.
- (2) No person who is appointed as an inspector under subsection (2) of section 17 of the Act for any inspection or

- examination shall be appointed as a visitor for the same inspection or examination.
- (3) A visitor who is a member of the Central Council shall not receive any remuneration but shall be paid travelling and other allowances as for attending the meeting of the Central Council.
- (4) A visitor who is not a member of the Central Council shall be paid travelling and other allowances as prescribed for the members of the Central Council for attending its meeting.
- (5) A visitor shall not take part in the inspection of any medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given and where he is a teacher and of any examination held by any University, Board or other medical institution where he is an examiner.
- (6) Every visitor shall receive from the President a commission in writing under the seal of the Central Council and the commission shall specify the medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given and the examination held by any University, Board or medical institution which he is required to visit.
- 10. Duties of visitors.—(1) In furnishing the report to the President it shall be the duty of a visitor to give his opinion categorically about the sufficiency or insufficiency of each examination inspected by him and also to record therein whether—
 - (a) the examination was properly conducted;
 - (b) the questions for such examination were framed having regard to the standards of the education imparted; and
 - (c) the teaching facilities available in the medical college, hospital or other institution in which education in homoeopathy is given are sufficient.
- (2) The report referred to in sub-regulation (1) above shall--
 - (a) set forth all necessary particulars as to the questions proposed in the written, oral and practical parts of each examination inspected by the visitor, the cases and appliances provided for clinical and practical examination, the arrangements made for in ighlation, the method and scales of marking, the standard of knowledge shown by successful candidates and generally all such details as may be required for adjudicating on the scope and character of the examination;
 - (b) include a brief record of the actual time spent by the visitor in inspecting each examination on each day of his inspection;
 - (c) include information relating to teaching facilities, equipments, accommodation and stuff existing at such colleges, hospitals and institutions and other sections attached to them;
 - (d) indicate the extent to which the recommendations of the Central Council in regard to examination; have been carried out in the case of each examination inspected by him and also to what extent the educational regulations of the Central Council have been given effect to in the education of the students in the particular subject or subjects with which the visitor is concerned in the institution; and
 - (e) compare the proof copy of his report on receipt from the Registrar with the original and correct, sign and return it to the Registrar for preservation in the records of the Central Council as the authentic copy of the report.

Dr. P. L. VERMA, Registrar.